बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

संoसंo–लoसिंoमोo–अनियमितता–203/2020–1613(मो0) /पटना, दिनांक–24/8/2020.

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई अंचल, पटना।

विषयः–भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर एवं पीरो प्रखण्ड में जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में अनियमितता के सम्बन्ध में।

प्रसंगः–श्री राम विशुन सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा का पत्रांक–IC/2020, दिनांक–20.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में **श्री राम विशुन सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा** ने सूचित किया है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर एवं पीरो प्रखण्ड में जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में अनियमितता बरती जा रही है तथा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि लगाये गये आरोपों की जांच कर, जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय। साथ ही उक्त कार्य का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सम्बन्धित प्राक्कलन के अनुरूप सुनिश्चित किया जाय। कृपया माननीय सदस्य को सभी वांछित प्राक्कलन की प्रति उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन,

24/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1613(मो0) /पटना, दिनांक–24/8/2020

प्रतिलिपि–मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1613(मो0) /पटना, दिनांक–24/8/2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1613(मो0) /पटना, दिनांक–24/8/2020

प्रतिलिपि–**श्री राम विशुन सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा**, जगदीशपुर, ग्राम–ढाकाकरम, पोस्ट–बरनाँव, थाना–आयर, जिला–भोजपुर, पिन–802203 को सूचनार्थ प्रेषित।

24/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

राम विशुन सिंह
सदस्य
बिहार विधान सभा
197- जगदीशपुर, भोजपुर

पता:
ग्राम-ढाकाकरम, पो०-बरनाँव
थाना - आयर, जिला-भोजपुर
पिन- 802203
मो० 08292360090
09162611894

पत्रांक 5/2020

दिनांक: 20.6.2020

मंत्री कोषांग
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।
गै०स०प्रे०सं० 759
दिनांक 29.06.2020

लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना
AUG 2020
(अपर मुख्य सचिव कोषांग)

सेवा में,

माननीय मंत्री जी,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

महाशय,

भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के जगदीशपुर एवं पीरो प्रखंड में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन प्रमंडल, भोजपुर आरा एवं संवेदकों द्वारा मिलकर सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है । आहर पोखर, पाईन के जीर्णोद्धार/सफाई के नाम पर लूट मचा हुआ है । स्थल पर 35-40 प्रतिशत ही कार्य कराया गया है । जिसकी जांच सरकारी एवं विभागीय हित में अतिआवश्यक है । जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को देखरेख करने हेतु भवदीय द्वारा माननीय सदस्यों को भी अधिकृत किया गया है । जिसकी अनुपालन में मैं दिनांक 29.4.2020 को कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, प्रमंडल भोजपुर से मैं दूरभाष पर वार्ता कर कहा कि आपके संवेदकों द्वारा कोई भी आहर/पोखर/पईन की जीर्णोद्धार/सफाई मापदंड के अनुसार नहीं किया जा रहा है । आप मेरे साथ एक-दो आहर को चलकर निरीक्षण करें, ताकि कार्यों में सुधार हो सके, उन्होंने कहा कि मैं कनीय अभियंता को भेज रहा हूँ ।

मैंने दिनांक 02.5.2020 को कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, भोजपुर से वार्ता किया कि न तो आपका कोई कनीय अभियंता आ रहा है न आप समय दे रहे हैं । मैंने उनसे अपने क्षेत्र के आहर, पोखर, पईन की जीर्णोद्धार योजनाओं का प्राक्कलन मांगा, परन्तु यह कहते हुए टाल दिये कि दो दिन में भेज रहा हूँ ।

दिनांक 11.05.2020 को जगदीशपुर प्रखंड के हरिगांव मौजा के हरिगाँव से दास अहरा , राम आहरा होते हुए धज्जा टोला तक आहर/पईन जीर्णोद्धार के कार्यों का निरीक्षण किया गया जिसमें कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, प्रमंडल, भोजपुर, कनीय अभियंता एवं संवेदक भी उपस्थित थे । इस आहर और पाईन में जो भी त्रुटियाँ पाई गई उसे कार्यपालक अभियंता भी स्वीकार किया एवं कार्य के त्रुटियों को सुधार कराने का आश्वासन दिये । इस आहर, पईन में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई है :-

1. मानचित्र के अनुसार आहर एवं पईन का जमीन संवेदक एवं संबंधित पदाधिकारियों द्वारा नहीं लिया गया है किसानों से मिलकर आहर का जमीन छोड़ दिया गया है ।

2. आहर की मिट्टी दोनों तरफ रखा गया है । जिसको कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, भोजपुर द्वारा एक तरफ मिट्टी करने के लिए स्वीकार किये थे , परन्तु अभी तक सुधार नहीं करायें ।

राम विशुन सिंह

सदस्य
बिहार विधान सभा
197- जगदीशपुर, भोजपुर

पता:
ग्राम-ढाकाकरम, पो०-बरनाँव
थाना - आयर, जिला-भोजपुर
पिन- 802203
मो० 08292360090
09162611894

मंत्री कोषांग
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।
गै०स०प्रे०सं० 759
दिनांक 29.06.2020

पत्रांक. K/2020

दिनांक: 20.6.2020

सेवा में,

माननीय मंत्री जी,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

महाशय,

भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के जगदीशपुर एवं पीरो प्रखंड में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन प्रमंडल, भोजपुर आरा एवं संवेदकों द्वारा मिलकर सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है । आहर पोखर, पाईन के जीर्णोद्वार/सफाई के नाम पर लूट मचा हुआ है । स्थल पर 35-40 प्रतिशत ही कार्य कराया गया है । जिसकी जांच सरकारी एवं विभागीय हित में अतिआवश्यक है । जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को देखरेख करने हेतु भवदीय द्वारा माननीय सदस्यों को भी अधिकृत किया गया है । जिसकी अनुपालन में मैं दिनांक 29.4.2020 को कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, प्रमंडल भोजपुर से मैं दूरभाष पर वार्ता कर कहा कि आपके संवेदकों द्वारा कोई भी आहर/पोखर/पईन की जीर्णोद्वार/सफाई मापदंड के अनुसार नहीं किया जा रहा है । आप मेरे साथ एक-दो आहर को चलकर निरीक्षण करें, ताकि कार्यों में सुधार हो सके, उन्होंने कहा कि मैं कनीय अभियंता को भेज रहा हूँ ।

मैंने दिनांक 02.5.2020 को कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, भोजपुर से वार्ता किया कि न तो आपका कोई कनीय अभियंता आ रहा है न आप समय दे रहे हैं । मैंने उनसे अपने क्षेत्र के आहर, पोखर, पईन की जीर्णोद्वार योजनाओं का प्राक्कलन मांगा, परन्तु यह कहते हुए टाल दिये कि दो दिन में भेज रहा हूँ ।

दिनांक 11.05.2020 को जगदीशपुर प्रखंड के हरिगांव मौजा के हरिगाँव से दास अहरा, राम आहरा होते हुए धज्जा टोला तक आहर/पईन जीर्णोद्वार के कार्यों का निरीक्षण किया गया जिसमें कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, प्रमंडल, भोजपुर, कनीय अभियंता एवं संवेदक भी उपस्थित थे । इस आहर और पाईन में जो भी त्रुटियाँ पाई गई उसे कार्यपालक अभियंता भी स्वीकार किया एवं कार्य के त्रुटियों को सुधार कराने का आश्वासन दिये । इस आहर, पईन में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई है :-

1. मानचित्र के अनुसार आहर एवं पईन का जमीन संवेदक एवं संबंधित पदाधिकारियों द्वारा नहीं लिया गया है किसानों से मिलकर आहर का जमीन छोड़ दिया गया है ।

2. आहर की मिट्टी दोनों तरफ रखा गया है । जिसको कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, भोजपुर द्वारा एक तरफ मिट्टी करने के लिए स्वीकार किये थे , परन्तु अभी तक सुधार नहीं करायें ।

P.T.O-2

राम विशुन सिंह
सदस्य
बिहार विधान सभा
197- जगदीशपुर, भोजपुर
प्रत्रांक. 15/2020

पता:
ग्राम-ढाकाकरम, पो०-बरनाँव
थाना - आयर, जिला-भोजपुर
पिन- 802203
मो०- 08292360090
09162611894

दिनांक: 20.6.2020

3. जहां मानचित्र में आहर, पईन में नाला था, वहां नाला नहीं लगाया गया है ।

4. आहर का बांध की चौड़ाई 14 से 16 फीट करना है, जो नहीं किया गया है ।

5. आहर और पईन की मिट्टी की कटाई मात्र डेढ़ से दो फीट गहराई में की गई है ।

दिनांक 22.05.2020 को 1. महुअरी से डोमन डीहरा आहर पईन, 2. खम्भा डीहरा से डोमन डीहरा सिंघा पर पश्चिम टोला आहर पईन 3. बसडीहां केवटिया आहर पईन की सफाई जीर्णोद्वार कार्य को देखा जिसमें आहर की जमीन संवेदकों एवं पदाधिकारियों द्वारा छोड़ा गया है , मिट्टी दोनों तरफ फेंका गया है एवं मिट्टी की कटाई डेढ से दो फीट तक ही है ।

दिनांक 23.5.2020 को पीरो प्रखंड के तार पंचायत के मौजा नेवारी थाना नं.-2 में नेवारी आहर, पईन एवं पोखरा की जांच मेरे द्वारा की गई है । जिसमें पाया गया है कि मानचित्र के अनुसार आहर, पईन, पोखर का पुरा जमीन नहीं कांटा गया है । मिट्टी भी आहर के दोनों तरफ फेंका गया है । नेवारी कृष्ण-राधिका एवं शिव मंदिर के दक्षिण-पश्चिम पोखरा की सफाई 2018-19 में भूसंरक्षण विभाग द्वारा किया गया था । पुनः विभाग एवं संवेदक की मिली भगत से इस पोखरा का सफाई दिखाकर सरकार की राशि गबन करने का साजिश रचा गया है । नेवारी मौजा का आहर,पोखर, पईन मानचित्र के अनुसार नहीं किया गया है एवं आहर में मिट्टी की कटाई लगभग डेढ से दो फीट ही हुआ है ।

दिनांक 31.5.2020 को मैंने हेतमपुर आहर एवं पोखरा तथा दिऊल आहर का जीर्णोद्वार कार्य को देखा, जिसमें वही स्थिति पाया गया जो उपर्युक्त आहरों एवं पईन में पाया गया है । आहर की दोनों तरफ मिट्टी फेंका गया है हेतमपुर एवं दिऊल दोनों आहर बहुत बड़ा आहर है परन्तु दोनों आहर में 25 से 30 प्रतिशत ही कार्य हुए हैं ।

जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के जगदीशपुर एवं पीरों प्रखंड में जो आहर , पोखर , पईन की सफाई/जीर्णोद्वार हुई है । उन सभी आहर, पोखर पईन में निम्नलिखित त्रुटियां हैं -

1. सभी आहर, पोखर, पईन की सरकारी जमीन किसानों से मिलकर संवेदक एवं विभाग के मिलीभगत से छोड़ा गया है ।

2. किसी भी आहर पोखर , पईन की सफाई प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया गया है ।

3. आहरों के दोनों तरफ विभाग एवं संवेदक के मिली भगत से मिट्टी फेंका गया है । जो नियमानुकूल नहीं है । आहरों की मिट्टी एक ही तरफ बांध पर रखना है ।

4. प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी की कटाई नहीं की गई है ।

5. आहर के बांध की चौड़ाई कम से कम 14 से 16 फीट होनी चाहिए , जो किसी भी आहरों में नहीं है ।

6. किसी भी आहर, पईन में स्लुईस गेट नहीं बनाया गया है । P.T.O→3-

20/7/2020

राम विशुन सिंह
सदस्य
बिहार विधान सभा
197- जगदीशपुर, भोजपुर

प्रत्रांक. 1/2020

पता:
ग्राम-ढाकाकरम, पो०-बरनाँव
थाना - आयर, जिला-भोजपुर
पिन- 802203
मो०- 08292360090
09162611894

दिनांक: 20.2.2020

::3::

उपर्युक्त सभी आहरों , पईनों एवं पोखरों के जीर्णोद्वार के कार्यों के सुधार के संबंध में मैंने बराबर कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, प्रमंडल भोजपुर को दुरभाष पर सूचना देते रहे हैं । उन्होंने मुझे सुधार करने का आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, भोजपुर द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं कराया गया है तथा हरिगांव मौजा का आहर दिनांक 11.5.2020 को देखे थे उसमें भी कोई सुधार नहीं करायें । संवेदकों को ये प्रोत्साहन देते रहे कि आपलोग काम करके जल्दी वहां से हटें । इनकी भाषा से यह प्रतीत होता है कि ये ऊपर तक सरकारी राशि के लूट में सभी को भागीदारी बनाएं हुए हैं ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराया जाय । जांच के दौरान शिकायतकर्ता को भी जांच में उपस्थित रखा जाय । तभी इसका निष्पक्ष जांच हो सकता है एवं सरकारी राशि की लूट से बचाया जा सकता है । कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग, भोजपुर, आरा को हटाकर ही जांच करना श्रेष्कर होगा । जाँचोपरांत दोषी अभियंताओं एवं संवेदकों पर विधि सम्मत अविलंब कार्रवाई करना चाहेंगे।

भवदीय,

Ramvishun Singh
20/5/2020

(राम विशुन सिंह)
स०वि०स०